

ग्रामीण समाज में ग्राम पंचायत की भूमिका

(रीवा जनपद के विशेष संदर्भ में)

शोधार्थी

अयोध्या सिंह

एम.फिल. समाजशास्त्र

शोध-निर्देशक

डॉ. महेश शुक्ला

से.नि. प्राध्यापक, समाजशास्त्र विभाग
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में मध्यप्रदेश के रीवा जनपद के ग्रामीण समाज में ग्राम पंचायत की भूमिका का प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात् ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वशासन एवं विकास की आधारभूत संस्था बन गई है, किन्तु उसकी वास्तविक भूमिका ग्रामीण सामाजिक संरचना, जनसहभागिता एवं प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होती है।

अध्ययन हेतु वर्तमान रीवा जिले की छः जनपद पंचायतों से दो-दो ग्राम पंचायतों तथा प्रत्येक ग्राम पंचायत से दस-दस उत्तरदाताओं का चयन कर कुल 120 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्य संकलित किए गए। विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि जन्म-मृत्यु पंजीयन, सड़क एवं नाली निर्माण, स्वच्छता तथा पेयजल जैसे नागरिक सेवा एवं अधोसंरचना संबंधी कार्यों में ग्राम पंचायत की भूमिका अपेक्षाकृत प्रभावी है, जबकि हितग्राहियों के चयन, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी की निगरानी तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में उसकी भूमिका कमजोर है।

ग्राम सभा की बैठकों में केवल 21.67 प्रतिशत उत्तरदाता नियमित रूप से भाग लेते हैं तथा महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में सार्थक रूप से कम पाई गई ($\chi^2 = 9.17, p < 0.05$)। 73.33 प्रतिशत उत्तरदाता मानते हैं कि ग्राम पंचायत ने गाँव के जीवन को बेहतर बनाया है, किन्तु केवल 15.00 प्रतिशत उसके कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता मानते हैं। शोध पत्र के अंत में ग्राम सभा के सशक्तिकरण, पारदर्शिता, महिला सहभागिता एवं क्षमता निर्माण से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं।

मुख्य शब्द : ग्राम पंचायत, ग्रामीण समाज, ग्राम सभा, पंचायतीराज, जनसहभागिता, सामाजिक परिवर्तन, रीवा जनपद।

प्रस्तावना

भारत गाँवों का देश है और भारतीय समाज की संरचना, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ग्रामीण समाज का अध्ययन अनिवार्य है। भारतीय ग्रामों में स्वशासन की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। पंच परमेश्वर की धारणा पर आधारित परंपरागत ग्राम पंचायतें सदियों तक ग्रामीण विवादों के निपटारे, सामाजिक नियमों के पालन तथा सामूहिक कार्यों के संचालन का दायित्व निभाती रहीं। औपनिवेशिक काल में केन्द्रीकृत प्रशासन के कारण ये संस्थाएँ दुर्बल हुईं। स्वतंत्रता के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया तथा बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर वर्ष 1959 में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ।

पंचायतीराज के इतिहास में 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, नियमित निर्वाचन, कमजोर वर्गों एवं महिलाओं के लिए आरक्षण तथा ग्राम सभा जैसी व्यवस्थाएँ प्रदान कीं (भारत सरकार, 1993)। मध्यप्रदेश ने वर्ष 1994 में नवीन व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत चुनाव सम्पन्न कराए तथा वर्ष 2001 में ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू कर ग्राम सभा को सशक्त बनाने का प्रयास किया (बेहार एवं कुमार, 2002)। राज्य में पंचायतों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।

त्रिस्तरीय व्यवस्था में ग्राम पंचायत वह इकाई है, जो ग्रामीण जनता के सबसे निकट है और जिसके माध्यम से ग्रामीण विकास की अधिकांश योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। ग्राम पंचायत केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज की सत्ता संरचना, सामाजिक संबंधों एवं विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सामाजिक संस्था भी है। एम.एन. श्रीनिवास ने ग्रामीण सत्ता संरचना में प्रभु जाति की भूमिका को रेखांकित किया था (श्रीनिवास, 1966)। पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था ने इस परंपरागत सत्ता संरचना को चुनौती दी है। दूसरी ओर, अनेक अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि ग्राम सभा में सहभागिता शिक्षा, जाति एवं लिंग से प्रभावित होती है (बेस्ले, पाण्डे एवं राव, 2005) तथा कमजोर वर्गों को पंचायतों में बहिष्कार एवं दबाव का सामना करना पड़ता है (बविस्कर एवं मैथ्यू, 2009)।

रीवा जनपद विन्ध्य क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है, जिसकी सामाजिक संरचना पर बघेलखण्ड की सामंती विरासत का प्रभाव रहा है। ऐसे क्षेत्र में ग्राम पंचायत ग्रामीण समाज में किस प्रकार की भूमिका निभा रही है, यह प्रस्तुत शोध पत्र का केन्द्रीय प्रश्न है।

शोध पत्र के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य इस प्रकार हैं। प्रथम, रीवा जनपद के ग्रामीण समाज में ग्राम पंचायत द्वारा संपादित विभिन्न कार्यों की प्रभावशीलता का उत्तरदाताओं की दृष्टि से मूल्यांकन करना। द्वितीय, ग्राम सभा की बैठकों में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं की सहभागिता का अध्ययन करना। तृतीय, ग्राम पंचायत के माध्यम से ग्रामीण विकास योजनाओं के लाभ की पहुँच का आकलन करना। चतुर्थ, ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं उसके प्रति ग्रामीणों की संतुष्टि का अध्ययन करना। पंचम, ग्राम पंचायत की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

शोध पत्र का महत्व

ग्राम पंचायत ग्रामीण लोकतंत्र एवं विकास की आधारशिला है, अतः उसकी वास्तविक भूमिका का धरातलीय अध्ययन सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक, दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सैद्धान्तिक दृष्टि से यह शोध पत्र लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन के अंतर्संबंध की समझ में योगदान देता है। व्यावहारिक दृष्टि से इसके निष्कर्ष पंचायत प्रतिनिधियों, प्रशासकों एवं नीति निर्माताओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि ग्राम पंचायत किन क्षेत्रों में प्रभावी है तथा किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। वर्ष 2023 में मऊगंज जिले के गठन के पश्चात् वर्तमान रीवा जिले के संदर्भ में किया गया यह अध्ययन क्षेत्रीय दृष्टि से भी नवीन है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध पत्र वर्णनात्मक एवं अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप पर आधारित है तथा इसमें मुख्यतः प्राथमिक आँकड़ों का प्रयोग किया गया है। अध्ययन क्षेत्र वर्तमान रीवा जिला है, जिसमें मऊगंज जिले के क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं। न्यादर्श के चयन हेतु बहुस्तरीय दैव निदर्शन पद्धति अपनाई गई। प्रथम चरण में जिले की सभी छः जनपद पंचायतों,

रीवा, रायपुर कर्चुलियान, सिरमौर, जवा, त्योंथर एवं गंगेव को सम्मिलित किया गया। द्वितीय चरण में प्रत्येक जनपद पंचायत से लॉटरी पद्धति द्वारा दो-दो ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। तृतीय चरण में प्रत्येक ग्राम पंचायत से लिंग एवं सामाजिक वर्ग के अनुपात को ध्यान में रखते हुए दस-दस उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जिनमें सामान्य ग्रामीण नागरिक तथा पंचायत प्रतिनिधि एवं कर्मों दोनों सम्मिलित हैं। इस प्रकार कुल न्यादर्श 120 उत्तरदाताओं का है।

तथ्य संकलन हेतु संरचित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया, जिसका पूर्व परीक्षण न्यादर्श से बाहर के 15 उत्तरदाताओं पर किया गया। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा की बैठकों एवं पंचायत गतिविधियों का असहभागी अवलोकन भी किया गया। द्वितीयक आँकड़े जनगणना, पंचायतीराज विभाग के प्रतिवेदनों एवं प्रकाशित साहित्य से लिए गए। आँकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत विधि द्वारा किया गया तथा लिंग एवं ग्राम सभा में सहभागिता के संबंध के परीक्षण हेतु 0.05 सार्थकता स्तर पर काई-वर्ग परीक्षण का प्रयोग किया गया।

सारणी क्रमांक 1 : उत्तरदाताओं का संक्षिप्त परिचय

क्र.	विशेषता	वर्ग	संख्या	प्रतिशत
1	लिंग	पुरुष	66	55.00
2		महिला	54	45.00
3	सामाजिक वर्ग	सामान्य	30	25.00
4		अन्य पिछड़ा वर्ग	48	40.00
5		अनुसूचित जाति	23	19.17
6		अनुसूचित जनजाति	19	15.83

क्र.	विशेषता	वर्ग	संख्या	प्रतिशत
7	शैक्षणिक योग्यता	निरक्षर	18	15.00
8		प्राथमिक / माध्यमिक	46	38.33
9		हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी	32	26.67
10		स्नातक एवं अधिक	24	20.00
11	उत्तरदाता की श्रेणी	सामान्य ग्रामीण नागरिक	90	75.00
12		पंचायत प्रतिनिधि एवं कर्मी	30	25.00

स्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आँकड़े (प्रत्येक विशेषता के लिए N = 120)।

सारणी 1 से स्पष्ट है कि न्यादार्श में 55.00 प्रतिशत पुरुष एवं 45.00 प्रतिशत महिलाएँ हैं। सामाजिक वर्गों में अन्य पिछड़ा वर्ग (40.00 प्रतिशत) की बहुलता है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति का संयुक्त प्रतिनिधित्व 35.00 प्रतिशत है। 85.00 प्रतिशत उत्तरदाता शिक्षित हैं तथा एक-चौथाई उत्तरदाता पंचायत प्रतिनिधि अथवा कर्मी हैं। इस प्रकार न्यादार्श अध्ययन क्षेत्र की ग्रामीण जनसंख्या का संतुलित प्रतिनिधित्व करता है।

ग्रामीण समाज में ग्राम पंचायत की भूमिका

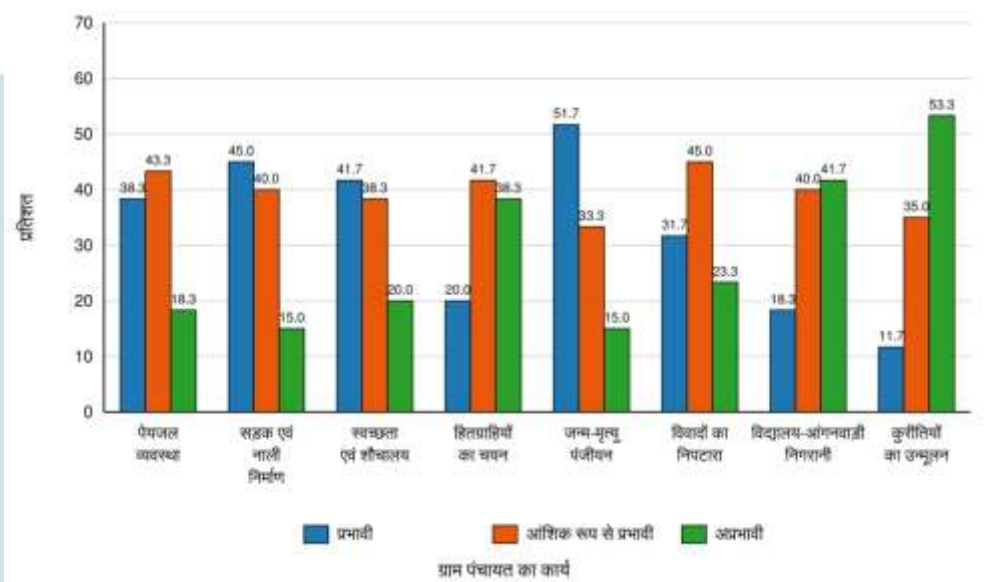
ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों की प्रभावशीलता

सारणी क्रमांक 2 : ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों की प्रभावशीलता के संबंध में उत्तरदाताओं का मत

क्र.	ग्राम पंचायत का कार्य	प्रभावी	आंशिक रूप से प्रभावी	अप्रभावी
1	पेयजल व्यवस्था	46 (38.33)	52 (43.33)	22 (18.33)
2	सड़क एवं नाली निर्माण	54 (45.00)	48 (40.00)	18 (15.00)
3	स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण	50 (41.67)	46 (38.33)	24 (20.00)
4	हितग्राहियों का चयन	24 (20.00)	50 (41.67)	46 (38.33)
5	जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं प्रमाण पत्र	62 (51.67)	40 (33.33)	18 (15.00)
6	ग्रामीण विवादों का निपटारा	38 (31.67)	54 (45.00)	28 (23.33)
7	विद्यालय एवं आंगनवाड़ी की निगरानी	22 (18.33)	48 (40.00)	50 (41.67)
8	सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन	14 (11.67)	42 (35.00)	64 (53.33)

स्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आँकड़े। कोष्ठक में प्रतिशत (प्रत्येक कार्य के लिए N = 120)।

आरेख 1 : ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यों की प्रभावशीलता



सारणी 2 एवं आरेख 1 से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत की भूमिका जन्म-मृत्यु पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करने में सर्वाधिक प्रभावी मानी गई है, जिसे 51.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने प्रभावी बताया। इसके पश्चात् सड़क एवं नाली निर्माण (45.00 प्रतिशत), स्वच्छता एवं शौचालय निर्माण (41.67 प्रतिशत) तथा पेयजल व्यवस्था (38.33 प्रतिशत) का स्थान है। इन चारों कार्यों में 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक उत्तरदाताओं ने ग्राम पंचायत की भूमिका को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रभावी माना है। ये वे कार्य हैं, जिनके लिए केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं तथा वित्त आयोग अनुदानों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सीधे निधि प्राप्त होती है और जिनके परिणाम प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं।

ग्रामीण विवादों के निपटारे में 31.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ग्राम पंचायत की भूमिका को प्रभावी तथा 45.00 प्रतिशत ने आंशिक रूप से प्रभावी माना है। यह संकेत करता है कि परंपरागत जाति पंचायतों के स्थान पर निर्वाचित ग्राम पंचायत सामाजिक नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में उभर रही है। इसके विपरीत हितग्राहियों के चयन में केवल 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ग्राम पंचायत की भूमिका को प्रभावी तथा 38.33 प्रतिशत ने अप्रभावी माना है, जो चयन प्रक्रिया में पक्षपात एवं पारदर्शिता के अभाव की ओर संकेत करता है। विद्यालय एवं आंगनवाड़ी की निगरानी में 41.67 प्रतिशत तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में 53.33 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायत की भूमिका को

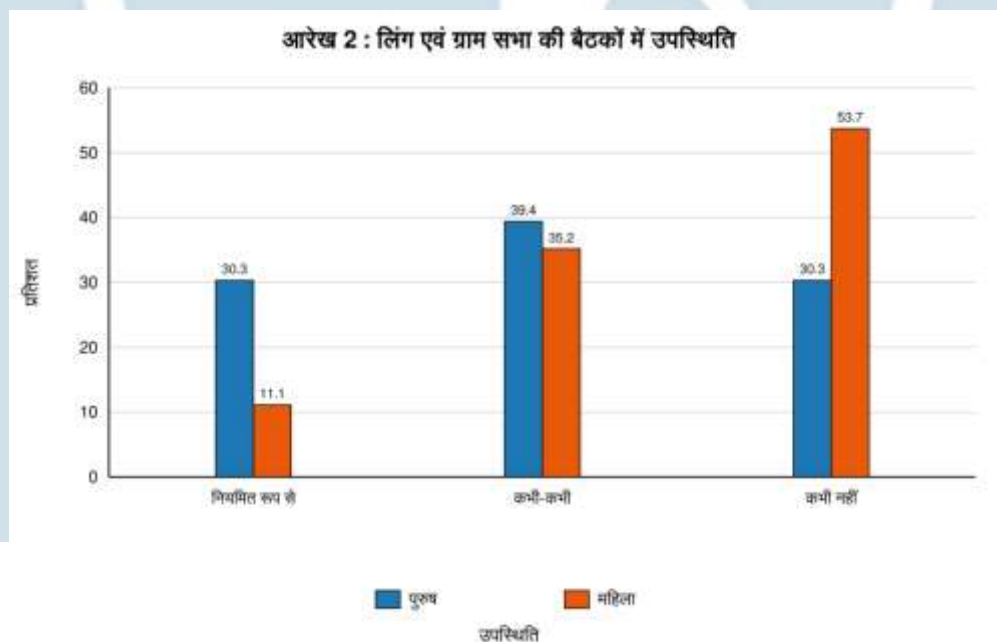
अप्रभावी मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत भौतिक विकास एवं नागरिक सेवाओं की संस्था के रूप में तो स्थापित हो गई है, किन्तु सामाजिक विकास एवं सामाजिक सुधार के क्षेत्र में उसकी भूमिका अभी सीमित है।

ग्राम सभा में सहभागिता

सारणी क्रमांक 3 : लिंग एवं ग्राम सभा की बैठकों में उपस्थिति

क्र.	लिंग	नियमित रूप से	कभी-कभी	कभी नहीं	योग
1	पुरुष	20 (30.30)	26 (39.39)	20 (30.30)	66
2	महिला	6 (11.11)	19 (35.19)	29 (53.70)	54
	योग	26 (21.67)	45 (37.50)	49 (40.83)	120

स्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आँकड़े। कोष्ठक में पंक्ति प्रतिशत। $\chi^2 = 9.17$, स्वातंत्र्य कोटि = 2, सार्थकता स्तर 0.05 पर सारणी मान = 5.99।



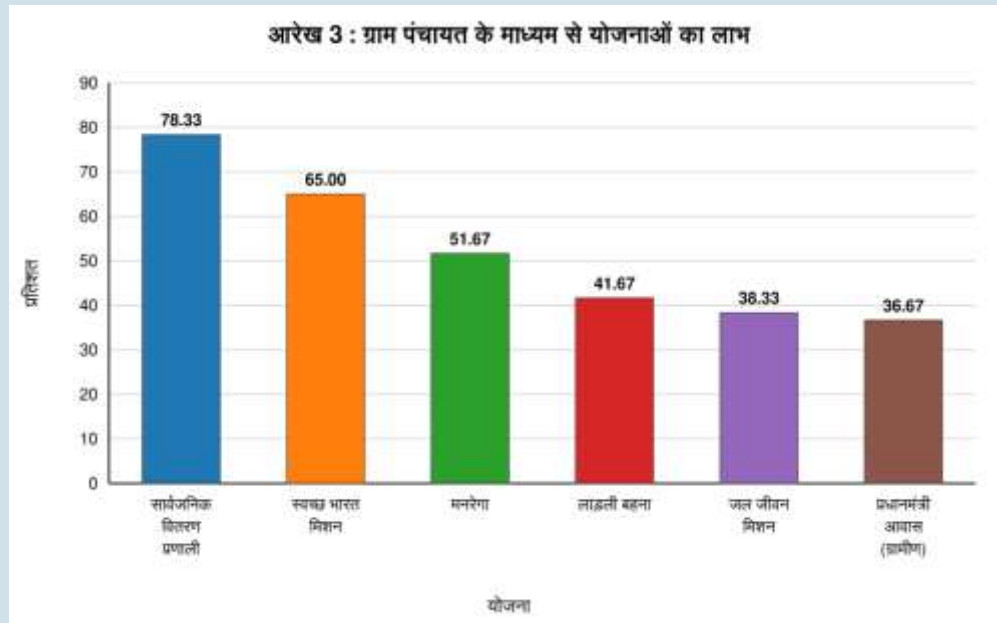
सारणी 3 एवं आरेख 2 से स्पष्ट है कि कुल उत्तरदाताओं में से केवल 21.67 प्रतिशत ग्राम सभा की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेते हैं, 37.50 प्रतिशत कभी-कभी तथा 40.83 प्रतिशत कभी भी भाग नहीं लेते। नियमित रूप से भाग लेने वाले पुरुष 30.30 प्रतिशत हैं, जबकि महिलाएँ केवल 11.11 प्रतिशत हैं। कभी भाग न लेने वाली महिलाओं का अनुपात 53.70 प्रतिशत है। परिकलित कार्ड-वर्ग मान 9.17 है, जो 2 स्वातंत्र्य कोटि पर 0.05 सार्थकता स्तर के सारणी मान 5.99 से अधिक है। अतः ग्राम सभा में सहभागिता एवं लिंग के मध्य सार्थक संबंध है। पंचायतों में पचास प्रतिशत आरक्षण के बावजूद सामान्य ग्रामीण महिलाओं की ग्राम सभा में सहभागिता अत्यंत सीमित है, जिसके कारणों में परंपरागत सामाजिक मान्यताएँ, घरेलू दायित्व तथा बैठक की सूचना का अभाव प्रमुख हैं।

ग्राम पंचायत के माध्यम से योजनाओं का लाभ

सारणी क्रमांक 4 : ग्राम पंचायत के माध्यम से योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले उत्तरदाता

क्र.	योजना	लाभार्थी उत्तरदाता	प्रतिशत
1	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पात्रता पर्ची)	94	78.33
2	स्वच्छ भारत मिशन – व्यक्तिगत शौचालय	78	65.00
3	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	62	51.67
4	लाइली बहना योजना	50	41.67
5	जल जीवन मिशन (नल से जल)	46	38.33
6	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	44	36.67

स्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आँकड़े (प्रत्येक योजना के लिए N = 120)। बहुविकल्पीय होने के कारण योग 120 से अधिक है।



सारणी 4 एवं आरेख 3 से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत के माध्यम से सर्वाधिक 78.33 प्रतिशत उत्तरदाताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्रता पर्ची का लाभ प्राप्त हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 65.00 प्रतिशत, मनरेगा के अंतर्गत 51.67 प्रतिशत, लाइली बहना योजना के अंतर्गत 41.67 प्रतिशत, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 38.33 प्रतिशत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 36.67 प्रतिशत उत्तरदाताओं के परिवारों को लाभ मिला है। यह स्पष्ट करता है कि ग्राम पंचायत ग्रामीण परिवारों को केन्द्र एवं राज्य की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रमुख माध्यम बन गई है। इन योजनाओं ने ग्रामीण आवास, स्वच्छता, पेयजल, खाद्य सुरक्षा एवं महिलाओं की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन किया है, जो ग्रामीण समाज के बदलते आयामों का महत्वपूर्ण पक्ष है।

ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं संतुष्टि

सारणी क्रमांक 5 : ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं उसके प्रति संतुष्टि

क्र.	पक्ष	उत्तरदाताओं का मत	संख्या	प्रतिशत
1	पारदर्शिता	पूर्ण पारदर्शिता	18	15.00
2		आंशिक पारदर्शिता	58	48.33
3		पारदर्शिता नहीं	44	36.67
4	संतुष्टि	पूर्णतः संतुष्ट	24	20.00
5		आंशिक रूप से संतुष्ट	62	51.67
6		असंतुष्ट	34	28.33

स्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आँकड़े (प्रत्येक पक्ष के लिए N = 120)।

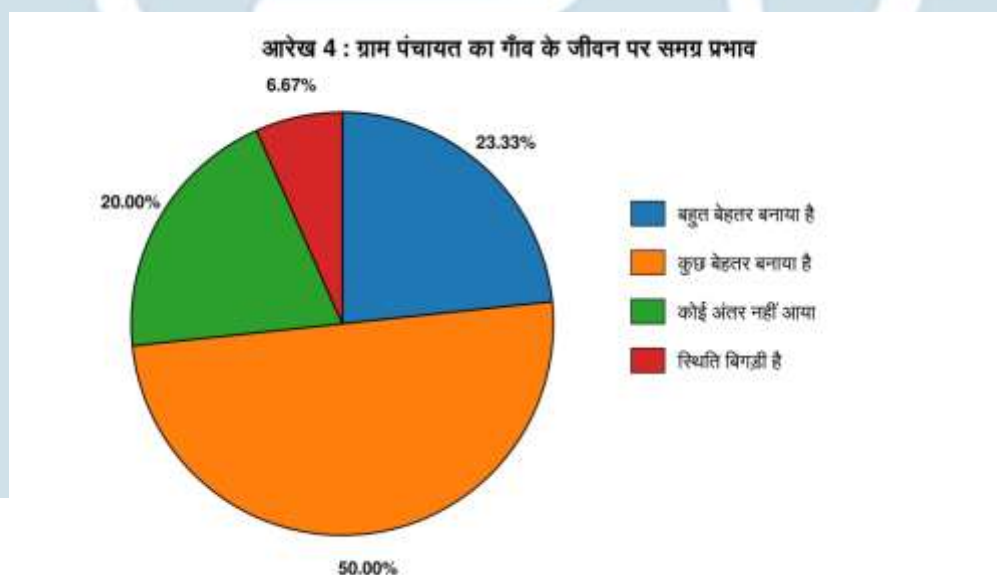
सारणी 5 के अनुसार केवल 15.00 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायत के कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता मानते हैं, जबकि 36.67 प्रतिशत के अनुसार कार्यों में कोई पारदर्शिता नहीं है। ग्राम पंचायत की कार्यप्रणाली से 20.00 प्रतिशत उत्तरदाता पूर्णतः संतुष्ट, 51.67 प्रतिशत आंशिक रूप से संतुष्ट तथा 28.33 प्रतिशत असंतुष्ट हैं। आंशिक संतुष्टि की प्रधानता यह दर्शाती है कि ग्रामीण जनता ग्राम पंचायत की उपलब्धियों को स्वीकार करती है, किन्तु आय-व्यय की जानकारी, हितग्राही चयन एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में पारदर्शिता का अभाव उसके प्रति विश्वास को कमजोर करता है।

ग्रामीण जीवन पर ग्राम पंचायत का समग्र प्रभाव

सारणी क्रमांक 6 : ग्राम पंचायत का गाँव के जीवन पर समग्र प्रभाव

क्र.	समग्र प्रभाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	बहुत बेहतर बनाया है	28	23.33
2	कुछ बेहतर बनाया है	60	50.00
3	कोई अंतर नहीं आया	24	20.00
4	स्थिति बिगड़ी है	8	6.67
	योग	120	100.00

स्रोत : क्षेत्रीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्राथमिक आँकड़े।



सारणी 6 एवं आरेख 4 से स्पष्ट है कि 50.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार ग्राम पंचायत ने गाँव के जीवन को कुछ बेहतर तथा 23.33 प्रतिशत के अनुसार बहुत बेहतर बनाया है। इस प्रकार 73.33 प्रतिशत उत्तरदाता ग्राम पंचायत की भूमिका को सकारात्मक मानते हैं, जबकि 20.00 प्रतिशत कोई अंतर नहीं मानते तथा केवल 6.67 प्रतिशत के अनुसार स्थिति बिगड़ी है। क्षेत्रीय अवलोकन से यह भी ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायतों ने ग्रामीण सत्ता संरचना में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को प्रतिनिधित्व देकर परंपरागत प्रभुत्व को चुनौती दी है, यद्यपि कई स्थानों पर महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिजनों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि रीवा जनपद के ग्रामीण समाज में ग्राम पंचायत एक महत्वपूर्ण एवं स्वीकार्य संस्था के रूप में स्थापित हो चुकी है तथा लगभग तीन-चौथाई उत्तरदाता उसकी भूमिका को सकारात्मक मानते हैं। ग्राम पंचायत की भूमिका जन्म-मृत्यु पंजीयन, सड़क, नाली, स्वच्छता एवं पेयजल जैसी नागरिक सेवाओं तथा भौतिक अधोसंरचना के विकास में सर्वाधिक प्रभावी है। ग्राम पंचायत ग्रामीण परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रमुख माध्यम बन गई है तथा विवादों के निपटारे में भी उसकी भूमिका बढ़ी है, जो परंपरागत सामाजिक नियंत्रण से वैधानिक संस्थाओं की ओर संक्रमण का संकेत है। किन्तु हितग्राही चयन, विद्यालय एवं आंगनवाड़ी की निगरानी तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन जैसे सामाजिक विकास के क्षेत्रों में उसकी भूमिका कमजोर है। ग्राम सभा में सहभागिता अत्यंत कम है तथा महिलाओं की सहभागिता पुरुषों की तुलना में सार्थक रूप से कम पाई गई है। ग्राम पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता का अभाव ग्रामीणों की संतुष्टि को सीमित करता है। समग्र रूप से ग्राम पंचायत ग्रामीण समाज में परिवर्तन का वाहक बनी है, किन्तु ग्राम स्वराज की परिकल्पना के अनुरूप सहभागी एवं पारदर्शी स्वशासन की संस्था बनने हेतु उसे अभी लंबी दूरी तय करनी है।

सुझाव

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं। प्रथम, ग्राम सभा की बैठकों की सूचना मुनादी, दीवार लेखन, मोबाइल संदेश एवं स्व-सहायता समूहों के माध्यम से प्रत्येक बसाहट तक समय पूर्व पहुँचाई

जाए तथा अधिक ग्रामों वाली पंचायतों में बैठकें बारी-बारी से विभिन्न ग्रामों में आयोजित की जाएँ। द्वितीय, ग्राम सभा से पूर्व महिला सभा का आयोजन कर महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जाए तथा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की बैठकों में स्वयं उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। तृतीय, हितग्राहियों की पात्रता सूची का ग्राम सभा में सार्वजनिक वाचन एवं पंचायत भवन पर प्रदर्शन अनिवार्य किया जाए तथा सभी योजनाओं का नियमित सामाजिक अंकेक्षण किया जाए।

चतुर्थ, ग्राम पंचायत के आय-व्यय एवं स्वीकृत कार्यों की जानकारी सरल हिन्दी में सूचना पटल एवं पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से ग्रामीणों तक पहुँचाई जाए। पंचम, निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं पंचायत सचिवों को पूरे कार्यकाल में नियमित एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाए। षष्ठम, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय से संबंधित समितियों को सक्रिय कर विद्यालयों, आंगनवाड़ियों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की निगरानी में पंचायत की भूमिका बढ़ाई जाए। सप्तम, बाल विवाह, दहेज एवं नशाखोरी जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाने वाली ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाए। अष्टम, पंचायतों को अपने स्वयं के आय स्रोत विकसित करने हेतु प्रेरित किया जाए, ताकि वे केवल बाहरी अनुदानों पर निर्भर न रहें और स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार विकास कार्य कर सकें।

संदर्भ सूची

1. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007). छठा प्रतिवेदन : स्थानीय शासन. भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. पंचायतीराज मंत्रालय (2008). निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों पर अध्ययन (स्टडी ऑन इलेक्टेड विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन्स). भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. पंचायतीराज मंत्रालय (2018). ग्राम पंचायत विकास योजना : मार्गदर्शिका. भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. भारत सरकार (1993). भारत का संविधान (तिहत्तरवाँ संशोधन) अधिनियम, 1992. भारत का राजपत्र, असाधारण, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार (2014). जनगणना 2011 : जिला जनगणना पुस्तिका, रीवा. जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।

6. मध्यप्रदेश शासन. मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित). पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
7. Baviskar, B. S. & Mathew, G. (Eds.) (2009). Inclusion and Exclusion in Local Governance: Field Studies from Rural India. Sage Publications, New Delhi.
8. Behar, A. (2003). Madhya Pradesh: Gram Swaraj: Experiment in Direct Democracy. Economic and Political Weekly, 38(10).
9. Behar, A. & Kumar, Y. (2002). Decentralisation in Madhya Pradesh, India: From Panchayati Raj to Gram Swaraj (1995 to 2001). Working Paper 170, Overseas Development Institute, London.
10. Besley, T., Pande, R. & Rao, V. (2005). Participatory Democracy in Action: Survey Evidence from South India. Journal of the European Economic Association, 3(2-3).
11. Chattopadhyay, R. & Duflo, E. (2004). Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India. Econometrica, 72(5).
12. Desai, A. R. (Ed.) (1969). Rural Sociology in India. Popular Prakashan, Bombay.